सीएसआईआर–मानव संसाधन विकास समूह
सीएसआईआर परिसर, पूसा, नई दिल्ली – **110012**

संख्या : CSIR-HRDG/EMR-II/PMU/2026 (E-372980) दिनांक : 02.11.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर-एचआरडीजी में एक समर्पित सीएसआईआर-परियोजना प्रबंधन इकाई (**CSIR-PMU**) के गठन के संबंध में।

संदर्भ : विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (HLC-VB), नीति आयोग की सातवीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 1.2.4.a।

विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (HLC-VB), नीति आयोग की सातवीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 1.2.4.a के अनुपालन में, महानिदेशक, सीएसआईआर तथा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने सीएसआईआर-एचआरडीजी में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी संरचना और कार्य-शर्तें निम्नलिखित हैं:-

2. संरचना

(i) PMU निदेशालय के प्रभारी (नोडल अधिकारी) : प्रमुख, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(ii) सदस्य :

(क) वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(ख) प्रभारी वैज्ञानिक, आईटी प्रभाग, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(ग) प्रभारी वैज्ञानिक, ईएमआर-I, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(घ) प्रभारी वैज्ञानिक, ईएमआर-II, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(ङ) प्रभारी वैज्ञानिक, पुरस्कार एवं टीजीएसएम, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(च) उप सचिव, ईएमआर-I, सीएसआईआर-एचआरडीजी

(छ) उप सचिव, ईएमआर-II, सीएसआईआर-एचआरडीजी

3. कार्य-क्षेत्र / कार्य-विवरण

(i) स्वीकृति के बाद की समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया को शुरू से अंत तक संभालना। इसमें अनुदान की स्वीकृति की सूचना देना, किस्त जारी करना तथा खातों का मिलान करना शामिल होगा, ताकि निर्णय लेने से लेकर धनराशि वितरित करने तक लगने वाला समय कम किया जा सके।

(ii) सीएसआईआर-एचआरडीजी द्वारा संचालित सभी बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं के प्रशासन के लिए एकल-खिड़की व्यवस्था स्थापित करना।

(iii) प्रस्तावों के निपटारे की प्रक्रिया समयबद्ध बनाना, ताकि प्रस्तावों के प्रसंस्करण में लगने वाला समय छह महीने तक सीमित हो।

(iv) संस्थानों के खातों में अनुदान का सीधे हस्तांतरण करना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से फेलोशिप की राशि जारी करना।

(v) अनुदान के उपयोग, लंबित किस्तों तथा पहले से प्रतिबद्ध वित्तीय देनदारियों की निगरानी करना।

(vi) सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा ऐसे अभिलेख रखना जो लेखा-परीक्षा के लिए तैयार और उपलब्ध हों।

(vii) एक प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करना, जिसके माध्यम से महानिदेशक, सीएसआईआर एवं सचिव, DSIR को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा DSIR के माध्यम से नीति आयोग को भी रिपोर्ट भेजी जाए।

(viii) पेशेवर कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ताकि वैज्ञानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन से अलग बनी रहे।

4. PMU के लिए आवश्यक प्रावधान, वित्त आयोग के 16वें चक्र (वर्ष 2026-27 से 2030-31) हेतु DSIR/CSIR की बृहद योजना "क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास (CBHRD)" में पहले से ही शामिल है। DSIR के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-28/10/2025-ADMN-DSIR, दिनांक 31.12.2025 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने पहले ही प्रमुख, HRDG को DSIR की CBHRD योजना का नोडल प्रमुख तथा DSIR के CBHRD से संबंधित कार्यों के लिए कार्यक्रम प्रभाग नामित कर दिया है।

5. यह व्यवस्था सीएसआईआर-एचआरडीजी और DSIR की मौजूदा प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत कार्य करेगी। इसके लिए कोई भी नियमित पद सृजित नहीं किया जाएगा।

(उमेश गुप्ता)
उप सचिव
ईएमआर – II

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, DSIR एवं महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर / अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर / संयुक्त सचिव, DSIR / मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर / विधि सलाहकार, सीएसआईआर, के निजी सचिव।
3. HRDG/HRDC/TKDL/IPU/URDIP/RAB/CPD के प्रमुख।
4. सभी वैज्ञानिक-प्रभारी (SICs), सीएसआईआर-एचआरडीजी ।
5. वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार / वरिष्ठ उप सचिव / सभी उप सचिव, सीएसआईआर-एचआरडीजी ।
6. सीएसआईआर एवं सीएसआईआर-एचआरडीजी की वेबसाइटें।
7. कार्यालय प्रति।

उप सचिव

2/2